

कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई

शिवाजी नगर जोन-04

भिलाई, दिनांक / / 2026

क्र./लो.क.वि/जोन-4/2026/

निविदा सूचना

आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई की ओर से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से लोक निर्माण विभाग के भवन/सड़क एस.ओ.आर. दिनांक-01.01.2015 एवं इलेक्ट्रिकल एस.ओ.आर 01.06.2020 से लागू तथा नान एसओआर पर एवं अद्यतन संशोधन के आधार पर कम/अधिक पर निम्नलिखित कार्य हेतु मुहरबंद निविदा स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। कार्य हेतु निविदा की तिथियां निम्नानुसार है :-

1. निविदा जारी करने की तिथि-25.09.2026
2. निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि-16.10.2026 सांय 5.30 बजे तक
3. निविदा खोले जाने की तिथि-19.10.2026

क्र	कार्य का नाम	निविदा लागत (लाख में)	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	समयावधि	फार्म
1	पार्श्व निधि अंतर्गत वार्ड-38 होटल आशीष इंटरनेशनल के पीछे बोर खनन सह पाईप लाईन विस्तारीकरण कार्य।	3.39	3500.00	750.00	60 Days	ए फार्म
2	मूलभूत सुविधा अंतर्गत वार्ड-39 स्वीपर मोहल्ला में शौचालय निर्माण कार्य।	3.37	3500.00	750.00	90 Days	ए फार्म
3	पार्श्व निधि अंतर्गत वार्ड-44 लक्ष्मीनारायण नगर में राम मंदिर यादव पारा एवं अन्य स्थानों पर आर.सी.सी. नाली पुलिया एवं सीमेंटीकरण कार्य।	5.08	5500.00	750.00	90 Days	ए फार्म
4	वार्ड-46 खुर्सीपार नंदगईया पारा में सार्वजनिक डोमशेड/टिनशेड निर्माण कार्य।	1.27	2000.00	300.00	60 Days	ए फार्म
5	पेयजल मंद अंतर्गत वार्ड-48 क्षतिग्रस्त ए सी पाईपलाइन एवं जी आई पाईपलाइन के स्थान पर नया पाईप लाईन विस्तारीकरण कार्य।	8.46	7500.00	750.00	60 Days	ए फार्म
6	पार्श्व निधि अंतर्गत वार्ड-49 सुभाष नगर में प्रकाश व्यवस्था हेतु स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य।	1.26	2000.00	300.00	45 Days	ए फार्म
7	वार्ड-51 शहीद वीर नारायण सिंह नगर सतनाम भवन में अतिरिक्त सुविधा प्रदाय कार्य।	1.00	2000.00	300.00	45 Days	ए फार्म
8	मूलभूत सुविधा अंतर्गत वार्ड-51 के विभिन्न स्थानों में नाली पुलिया का संधारण कार्य।	3.36	3500.00	750.00	60 Days	ए फार्म
9	शास्कीय पूर्व माध्यमिक शाला सेक्टर-1। खुर्सीपार भिलाई में शौचालय निर्माण कार्य।	1.69	2000.00	300.00	60 Days	ए फार्म

नियम एवं शर्तें :- (1) सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। (2) निविदा स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक से स्वीकार किये जावेंगे (3) धरोहर राशि एफ.डी.आर. के रूप में जोन आयुक्त/कार्यपालन अभियंता, नगर पालिक निगम भिलाई एवं संबंधित ठेकेदार के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी, जमा करना होगा तथा निविदा प्रपत्र शुल्क के रूप में निर्धारित शुल्क की राशि डी.डी. के माध्यम से आयुक्त महो. न.पा.नि. भिलाई के नाम से जमा कराना होगा। प्रत्येक कार्य के लिये जीवित ठेकेदारी ई-पंजीयन, जी एस टी प्रमाणपत्र, पेनकार्ड/आयकर प्रमाण पत्र, जीवित साल्वेंसी समस्त प्रमाण पत्र की स्व हस्ताक्षरित प्रति एवं नोटरी से जारी (100/-रु0) का शपथ पत्र की मूलप्रति, लिफाफा "क" में प्रस्तुत करना है एवं निविदा प्रपत्र दर सहित लिफाफा "ख" में प्रस्तुत करना होगा। (4) कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम लागू होगी (5) सम्पूर्ण निविदा अथवा किसी अंश को स्वीकृत करने अथवा न करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा। (6) नगर निगम के वाहनो से निर्माण कार्य हेतु पानी लेने पर देयक से 1% की राशि की कटौती की जावेगी किन्तु निगम वाहन उपलब्ध कराने हेतु बाध्य नहीं रहेगा। निगम क्षेत्र के स्रोतो से स्वयं के वाहन से पानी लेने पर 0.5% राशि की कटौती की जावेगी। (7) सफल निविदकार की निविदा दर निविदा राशि के 90% से कम होने की स्थिति में अंतर की राशि के समतुल्य परफारमेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर., पोस्टऑफिस टाईम डिपोजिट, एन.एस.सी. जो कि जोन आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई एवं एजेंसी के नाम से देय होगा, मांग की तिथि से 15 दिनों की समयावधि में जमा करना अनिवार्य होगा, समयावधि में जमा न कराने की दशा में निविदा स्वयमेव निरस्त हो जावेगी एवं जमा धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी। (8) शासन के निर्देशानुसार श्रमिकों से संबंधित कार्यों हेतु श्रमिकों का नियमानुसार पी.एफ.कटौती किया जाना, तथा बैंको में खाता खोलकर सीधे उनके बैंक खातों में श्रमायुक्त द्वारा स्वीकृत दरों के अनुरूप प्रतिमाह राशि जमा कराया जाना है। (9) प्रस्तुत दस्तावेज असत्य पाये जाने पर पंजीयन निरस्त कर, काली सूची में दर्ज करने की कार्यवाही की जावेगी। (10) यदि निगम द्वारा निर्धारित निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि निविदा खोलने की तिथि को किसी अपरिहार्य कारणवश अवकाश घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में अंतिम तिथि/खोलने की तिथि आगामी कार्य दिवस को माना जायेगा। (11) किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। (12) निविदा से वचित किये गये ठेकेदारों/एजेंसियों की निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। (13) कार्य प्रारंभ करने के पूर्व कार्य स्थल/कार्य का तथा कार्य के पश्चात् कार्य का फोटोग्राफ देयक से साथ प्रस्तुत करने की जवाबदारी संबंधित ठेकेदार की होगी। (14) देयक भुगतान की कार्यवाही तत्कालीन समय पर राशि के उपलब्धता के आधार पर किया जावेगा। (15) कार्य से संबंधित निविदा प्रपत्र तथा विस्तृत नियम शर्तों की जानकारी कार्यालयीन अवधि में नगर पालिक निगम भिलाई की वेबसाइट www.bhilainagarnigam.com अथवा संचालनालय की वेबसाइट www.uad.cg.gov.in and tender-uad@cg.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर जोन क्र0-4
नगर पालिक निगम, भिलाई



Scanned with OKEN Scanner